


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक: नर्सिंग/पदौ0/नर्स-2/(एफ-138)/18/ दिनांक:

:: संशोधन आदेश ::

निदेशालय के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/पदौ0/नर्स-2/(एफ-138)/2017/191 दिनांक-
 30.10.17 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क सं	आदेश में कसं	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर संशोधित पदस्थापन स्थान
1	64	लक्ष्मी नारायण	पीएचसी प्रतापगढ, अलवर	सीएचसी हमीराका, अलवर	पीएचसी, नांगलबानी, थानागाजी, अलवर
2	11	शफात मोहम्मद शेख	सीएचसी विनोता, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ	पीएचसी केवलपुरा, चित्तौडगढ	पीएचसी, अरनिया पंथ, चित्तौडगढ
3	35	नारायण लाल खत्री	पीएमओ, जालौर	सीएचसी भीनमाल, जालौर	सामान्य चिकि0, जालौर
4	60	लक्ष्मण राम	सीएचसी रेनवाल, जयपुर	सीएचसी, दूदू, जयपुर	पीएचसी, करणसर, ब्लॉक सांभर लेक, जयपुर-II


यदि उक्त में से किसी कार्मिक द्वारा नर्स-प्रथम के पद पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर लिया गया है तो ये आदेश उन पर लागू नहीं होंगे। इनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक-16.04.18 तक बढ़ाई जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


 (राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
 दिनांक: 07/04/18

क्रमांक: नर्सिंग/पदौ0/नर्स-2/(एफ-138)/18/64

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को उनकी आई. डी. क्रमांक 527 दिनांक 27.03.18 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को उनकी आई. डी. क्रमांक 91 दिनांक 21.03.2018 के संदर्भ में।
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को उनकी आई. डी. क्रमांक 1925 दिनांक 27.03.2018 के संदर्भ में।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वररूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वैबसाईट पर इम्पोर्टेन्ट लेटर कॉलम में प्रकाशित करें।
7. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 (राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
 राज0 जयपुर